संख्या-ए-1-315/दस-2014-10(38)2011टी0सी-1

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 11 अगस्त, 2014

विषय : अनावर्ती सहायक अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अनावर्ती सहायक अनुदानों के सापेक्ष नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप असमायोजित अनावर्ती सहायक अनुदानों की संख्या एवं राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी शासनादेश संख्या-ए-1-435/दस-2011-10(38)/2011, दिनांक 25-10-2011, शासनादेश संख्या-ए-1-211/दस-2012-10(38)/2011, दिनांक 23 अप्रैल, 2012, शासनादेश संख्या-ए-1-474/दस-2012-10(38)/2011, दिनांक 22 अगस्त, 2012, शासनादेश संख्या-ए-1-33 ए0जी0/दस-2012-10(38)/2011, दिनांक 06 फरवरी, 2013, शासनादेश संख्या-ए-1-362/दस-2013-10(38)/2011, दिनांक 08 मई, 2013, शासनादेश संख्या-ए-1-608/दस-2013-10(38)/2011, दिनांक 07 अगस्त, 2013, शासनादेश संख्या-ए-1-822/दस-2013-10(38)/2011, दिनांक 29 नवम्बर, 2013 व शासनादेश संख्या-ए-1-31/दस-2014-10(38)/2011, दिनांक 11 फरवरी, 2014 द्वारा आवश्यक आदेश उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने हेतु निर्गत किए जा चुके हैं, परन्तु इसके उपरान्त भी अनावर्ती सहायक अनुदान की काफी अधिक संख्या एवं धनराशि अभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में असमायोजित पड़ी है।

2- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि जब वे वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के ऑकड़ों का लेखा मिलान, वित्त

2/--

(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-बी-2-2132/दस-2014-आर-2/2014, दिनांक 14 जुलाई, 2014 के अनुसार महालेखाकार कार्यालय से करायेंगे तो अपने साथ वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2013-14 तक स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों (Non Recurring grant-in-aid) के सापेक्ष उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) भी साथ में अनिवार्य से भेजेंगे ताकि उनका समायोजन सम्भव हो सके।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ समस्त नियंत्रक अधिकारियों को यह भी निर्देशित कर दें कि उनके द्वारा समयानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर समायोजन न करा सकने की स्थिति में वे व्यक्तिगत् रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(मुकेश मित्तल)
सचिव, वित्त।

संख्या-ए-1-315(1)/दस-2014-10(38)2011टी0सी-1, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-टी0एम0-।।/ग्रुप-iv/लेखा मिलान/एफ-18/359, दिनांक 02 जुलाई, 2014 के क्रम में।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त विभाग के समस्त व्यय नियंत्रण अनुभाग।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को उनके पत्र संख्या-बी-2-2169/दस-2014, दिनांक 15 जुलाई, 2014 के क्रम में।

आज्ञा से,

(राकेश चौबे)
विशेष सचिव।